THE

JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 1003 **11 Kartik, 1940(S)**

Ranchi, Friday, 2nd November, 2018

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification
1st November, 2018

Notification No. 54/2018 – State Tax

S.O. No.79- Dated- 2nd November, 2018 -- In exercise of the powers conferred by section 164 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017),the Government of Jharkhand hereby makes the following rules further to amend the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Jharkhand Goods and Services Tax (Twelfth Amendment) Rules, 2018.

(2) This notification shall be deemed to be effective from 9th October, 2018.

2. In the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 89, for sub-rule (4B), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(4B) Where the person claiming refund of unutilised input tax credit on account of zero rated supplies without payment of tax has –

(a) received supplies on which the supplier has availed the benefit of the Government of Jharkhand, Commercial Taxes Department, notification No. 40/2017-State Tax (Rate) dated the 7th November, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 120, dated the 7th November, 2017 or notification No. 41/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 23rd October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1321(E), dated the 23rd October, 2017; or

(b) availed the benefit of notification No. 78/2017-Customs, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide

number G.S.R 1272(E), dated the 13th October, 2017 or notification No. 79/2017-Customs, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1299(E), dated the 13th October, 2017,

the refund of input tax credit, availed in respect of inputs received under the said notifications for export of goods and the input tax credit availed in respect of other inputs or input services to the extent used in making such export of goods, shall be granted.".

3. In the said rules, in rule 96, for sub-rule (10), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(10) The persons claiming refund of integrated tax paid on exports of goods or services should not have -

(a) received supplies on which the benefit of the Government of Jharkhand, Commercial Taxes Department S.O. No. 113, State Tax, dated the 24th October, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, except so far it relates to receipt of capital goods by such person against Export Promotion Capital Goods Scheme or notification No. 40/2017-State Tax (Rate) dated the 7th November, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 120, dated the 7th November, 2017 or notification No. 41/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 23rd October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 1321 (E), dated the 23rd October, 2017 has been availed; or

(b) availed the benefit under notification No. 78/2017-Customs, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 1272(E), dated the 13th October, 2017 or notification No. 79/2017-Customs, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i),*vide* number G.S.R 1299 (E), dated the 13th October, 2017 except so far it relates to receipt of capital goods by such person against Export Promotion Capital Goods Scheme.".

[File.No Va Kar / GST / 04/ 2018]
By the order of the Governor of Jharkhand,

K. K. Khandelwal,
Additional Chief Secretary.

Note :- The principal rules were published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, S.O. No. 28, State Tax, dated the 20th June, 2017, and last amended vide notification No. 53/2018-State Tax, dated the 01 November, 2018, published vide S.O. No. 78 dated the 01 November, 2018.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

1 नवम्बर 2018

अधिसूचना सं०. 54/2018- राज्य कर

एस. ओ. सं. 79 दिनांक 2 नवम्बर 2018-- झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माल और सेवाकर नियमावली, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम झारखण्ड माल और सेवाकर (बारहवां संशोधन) नियमावली, 2018 है ।

(2) यह अधिसूचना 9 अक्टूबर, 2018 से प्रवृत्त मानी जाएगी।

2. झारखण्ड माल और सेवाकर नियमावली, 2017 (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमावली कहा गया है) के नियम 89 के उपनियम (4ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा,अर्थात् :--

‘‘(4ख) जहां कर का संदाय किए बिना शून्य दर प्रदायों के मद्दे उपभोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय का दावा करने वाले व्यक्ति ने-

(क) ऐसे प्रदाय प्राप्त किए हैं, जिस पर प्रदायकर्ता ने झारखण्ड सरकार के वाणिज्य-कर विभाग, की, झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, एस. ओ. सं 120, तारीख 7 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं० 40/2017-राज्य कर (दर), तारीख 7 नवम्बर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा०का०नि० संख्यांक 1321(अ), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं० 41/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 के फायदे का उपभोग किया है ; या

(ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा०का०नि० संख्यांक 1272(अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं० 78/2017-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 या भारत के राजपत्र,

असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा०का०नि० संख्यांक 1299(अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं० 79/2017-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 के या उन सभी के फायदे का उपभोग किया,

वहां ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का, जिसका माल के निर्यात के लिए उक्त अधिसूचनाओं के अधीन इनपुटों के संबंध में उपभोग किया गया है और ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का, जिसका अन्य इनपुटों या माल के ऐसे निर्यात में प्रयुक्त विस्तार तक इनपुट सेवाओं के संबंध में उपभोग किया गया है, प्रतिदाय दिया जाएगा ।''

3. उक्त नियमों के नियम 96 के उपनियम (10) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

''(10) माल या सेवाओं के निर्यात पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय कर दावा करने वाले व्यक्तियों को-

(क) ऐसे प्रदाय प्राप्त नहीं करने चाहिए, जिन पर झारखण्ड सरकार के वाणिज्य-कर विभाग, की, झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, एस. ओ. सं. 113, राज्य कर तारीख 24 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित के सिवाय उसके, जहां तक उनका संबंध ऐसे व्यक्ति द्वारा निर्यात संवर्धन पूंजी माल स्कीम या झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में एस. ओ. सं. 120, तारीख 7 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं० 40/2017- राज्य कर (दर), तारीख 7 नवम्बर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा०का०नि० संख्यांक 1321(अ), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं० 41/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 के संबंध में पूंजी माल प्राप्त करने से है, फायदे का उपभोग किया गया है ; या

(ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा०का०नि० संख्यांक 1272(अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं० 78/2017-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा०का०नि० संख्यांक 1299(अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं० 79/2017-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 के अधीन फायदे का उपभोग, सिवाय उसके जहां तक उसका संबंध निर्यात संवर्धन पूंजी माल स्कीम के संबंध में ऐसे व्यक्ति द्वारा पूंजी माल को प्राप्त करने से है, नहीं करना चाहिए ।''।

[सं.सं .वा०कर/जी०एस०टी०/04/2018]
झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खंडेलवाल,
अपर मुख्य सचिव

टिप्पण : मूल नियम, झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में एस. ओ. सं. 28, तारीख 20 जून, 2017 द्वारा, प्रकाशित की गई थी, और एस. ओ. सं. 78 तारीख 01 नवम्बर, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं० 53/2018-राज्य कर, तारीख 01 नवम्बर, 2018 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 1003 -- 50.